



झारखण्ड सरकार झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद

विज्ञापन संख्या : जे.सी.ई.सी.ई.बी./31/20- 86

राँची / दिनांक: 17 / 12 / 2020

Mop-up Round of Counselling के लिए NEET (UG) -2020 परीक्षाफल आधारित राज्य मेधा-सूची तैयार करने एवं उसके आधार पर एम.बी.बी.एस. (M.B.B.S.) बी.डी.एस. (B.D.S.) एवं बी०एच०एम०एस० (B.H.M.S.) पाठ्यक्रमों में नामांकन के निमित्त Mop-up Round of Counselling के आयोजन से संबंधित महत्वपूर्ण सूचना

Mop-up Round of Counselling में शामिल होने के लिए NEET (UG) -2020 में अर्हित (Qualified) वैसे उम्मीदवारों से पर्षद द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं जो पूर्व में निर्मित अंतिम राज्य मेधा सूची में शामिल नहीं है लेकिन वे एम.बी.बी.एस. (M.B.B.S.), बी.डी.एस. (B.D.S.) एवं बी०एच०एम०एस० (B.H.M.S.) पाठ्यक्रम में द्वितीय साक्षात्कार के उपरांत रिक्त होने वाले सीटों पर नामांकन के लिए इच्छुक हैं तथा पर्षद द्वारा दिनांक 28.10.2020 को जारी विज्ञापन संख्या-जे.सी.ई.सी.ई.बी./31/20-62 में निहित शर्तों को पूरा करते हैं। उन्हें अपने दावों यथा शैक्षणिक, आवासीय, आरक्षण, दिव्यांगता के समर्थन में सक्षम पदाधिकारी द्वारा विहित प्रपत्र में निर्गत प्रमाण पत्रों को भारत (Upload) करना अनिवार्य होगा।

2. प्रथम एवं द्वितीय साक्षात्कारों से अनुशंसित एवं चिकित्सा संस्थानों में नामांकित अभ्यर्थी, संस्थान एवं पाठ्यक्रम को बदलने हेतु उक्त साक्षात्कार में शामिल हो सकते हैं।

3. द्वितीय साक्षात्कार के लिए पर्षद द्वारा जारी अंतिम राज्य मेधा सूची में शामिल उम्मीदवारों को पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।

4. Medical Counselling Committee के पत्रांक REF.U11011/04/2020-MEC दिनांक 09.12.2020 में वर्णित निर्देश "It is also to be noted that candidates who join their allotted seat of All India Quota/Central University of Round-2 will not be able to resign from their allotted seat and candidates who have joined a seat in Deemed Universities in Round-2 will not be eligible to participate in any further rounds of counselling in compliance with the directions of Hon'ble Supreme Court of India dated 09-05-2017 passed in W.P No. 267 of 2017 Dar-Us-Slam Educational Trust Vs. MCI & Ors." के आलोक में पात्रता रखने वाले अभ्यर्थी ही Mop-up Round of Counselling में शामिल हो सकते हैं।

5. अभ्यर्थियों/संबंधित अभिभावकों/संबंधित संस्थानों को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि Mop-up Round of Counselling निम्न कार्यक्रम के अनुसार आयोजित की जायेगी :-

Sl. No.	Activity	Date	
		From	To
1	Online Application Form Submission by New Candidates	18/12/2020	20/12/2020
2	Publication of Provisional State Merit List for Mop-up Round	21/12/2020	
3	Objections on Provisional State Merit List (In case of any discrepancy/anomaly in Candidate's Merit Rank, the applicant must inform the Board for correction with supporting document(s) on the e-mail id-jceceboard@gmail.com)	22/12/2020 (upto 05.00 PM)	
4	Publication of Final State Merit List for Mop-up Round	23/12/2020	


5	Starting date of Online Registration and Choice Filling for Seat Allotment	24/12/2020	
6	Last date of Online Registration & Choice Filling for Seat Allotment and Locking	25/12/2020	
7	Issue of Provisional Seat Allotment Letter	27/12/2020	29/12/2020
8	Documents Verification and Admission in the Concerned Medical Institute	27/12/2020	29/12/2020

5. अभ्यर्थियों द्वारा संस्थान/संस्थानों तथा पाठ्यक्रम/पाठ्यक्रमों को अपनी प्राथमिकता के अनुसार पर्सद के वेबसाईट पर उपलब्ध "Online Counselling for Admission in Medical-2020" Link में Click कर दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुसरण करते हुए विकल्पों को भरा जाना है। विकल्पों को भरने की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे सीटों के आवंटन हेतु अधिक से अधिक विकल्पों को भरें।

6. **आवेदन/निबंधन तथा साक्षात्कार शुल्क** :- अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन/निबंधन तथा साक्षात्कार शुल्क Payment Gateway के माध्यम से Credit Card/Debit Card/Net Banking/UPI के द्वारा निम्न तालिका के अनुसार भुगतान किया जाना है जो अप्रतिदेय (Non-refundable) होगा :-

Sl.No.	Category/Quota	Application Fee	Counselling Fee
1.	General/EWS/BC-I/BC-II	Rs. 500.00	Rs. 1,000.00
2.	SC/ST/Female Candidate of all categories	Rs. 250.00	Rs. 500.00
3.	Divyang Candidate of any category	-	Rs. 500.00

7. स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, राँची के पत्रांक-09/नामांकन-02-05/17-284(9) दिनांक-13.11.2020 से प्राप्त निर्देश के आलोक में एम0बी0बी0एस0/बी0डी0एस0 पाठ्यक्रम में दिव्यांग-जनों के लिये आरक्षित सीटों पर नामांकन के संबंध में BOARD OF GOVERNORS IN SUPERSESSION OF MEDICAL COUNCIL OF INDIA द्वारा निर्गत संशोधित अधिसूचना सं0-34(41)/2018-मेड/170045 दिनांक- 04.02.2019 के परिशिष्ट - "ज" में उल्लेखित "एम0बी0बी0एस0 में दाखिले के संबंध में विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम-2016 के अंतर्गत विशिष्ट विकलांगताओं वाले छात्रों के दाखिले से संबंधित दिशा निर्देश" में अंकित प्रावधान के अनुसार पर्सद द्वारा कार्रवाई की जायेगी। विज्ञापन संख्या- जे.सी.ई.सी.ई.बी./31/20-62 दिनांक 28.10.2020 की कंडिका 3(c) को इस हद तक संशोधित समझा जाय तथा अन्य शर्तें यथावत् रहेंगी। (P.R. No.: 235001)

परीक्षा नियंत्रक के आदेश से,

 (रंजीता हेम्ब्रम, ज्ञा.प्र.से.)
 उप परीक्षा नियंत्रक